



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



क्रमांक : एफ4()भण्डार/IGPRS/2022/3298-3300

दिनांक: 14/2/2023

सीमित निविदा

संस्थान में बागवानी कार्य की रेट कॉन्ट्रैक्ट हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रुपये लाखों में)	निविदा प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा अपलोड करने की तिथि	निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि
1.	बागवानी कार्य	1.90 लाख	250/-	3800/-	17.02.2023	27.02.2023

निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त कार्य हेतु निविदाएँ मुहरबन्द लिफाफे में जिन पर स्पष्ट रूप से जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम लिखा हो, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में निर्धारित तिथि को दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जायेगी। निविदा उसी दिवस को अपराह्न 3:00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा निविदादाताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित हो, के समक्ष खोली जायेगी।

बोली प्रपत्र, कार्य का विवरण व शर्तें जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जावे, उससे सम्बन्धित निविदा प्रपत्र व शर्तों का ही प्रिन्ट लेकर निविदा प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. प्रोग्रामर उक्त निविदा प्रपत्र को विभागीय वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं SPPP Portal पर अपलोड करावे।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड, संस्थान।

उपनिदेशक (प्रशासन)

बागवानी कार्य की निविदा शर्तें व विवरण

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो कि संस्थान द्वारा जारी किया गया है, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा विभाग की वेब साइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
2. निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए निविदा उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का कारोबार करती हो।
3. टेण्डर के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
4. राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा-विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।
5. निविदादाता के कार्य की वार्षिक लागत का 2.5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। जो कार्य संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।
6. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये आदिष्ट परिमाण की रकम की 0.50 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का 01 प्रतिशत होगी।
7. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
8. निविदा दिनांक 27.02.2023 को दोपहर 12:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करानी आवश्यक है।
9. निविदा दिनांक 27.02.2023 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अपराहन 3:00 बजे खोली जायेगी।
10. निविदा देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।
 1. यदि फर्म एकल स्वामित्व की हो ते स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
 2. यदि भागीदारी का है-भागीदारी-डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पते।
 3. यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
 4. फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा।
11. निविदा फार्म के साथ में लगाये गये प्रमाणित दस्तावेजों की पुष्टि हेतु विभाग के मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
12. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।

12. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
13. निविदा पर विचार उसी स्थिति में किया जावेगा जबकि निविदादाता, निविदा देने के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र, यथा
 1. फर्म का रजिस्टर्ड प्रमाण-पत्र
 2. GST का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
 3. PAN कार्ड
14. अतिरिक्त निदेशक, संस्थान जयपुर को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा इस कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग को कोई सरोकार नहीं होगा।
15. कार्य की गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम दरों वाली निविदा को स्वीकार किया जो आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
16. गमले एवं स्थाई पौधे संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जावें परन्तु किसी प्रकार संयंत्र होज पाईप आदि नहीं दिया जावेगा। पानी बिजली की व्यवस्था संस्थान द्वारा ठेकेदार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।
17. श्रम कानून को मानना होगा। न्यूनतम मजदूरी देने का दायित्व निविदादाता का होगा।
18. फर्म की जिम्मेदारी/दायित्व वेतन का भुगतान बोनस ग्रेज्युएटी अवकाश इत्यादि, भविष्य निधि एक्ट, ई.एस.आई. एक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, (रैगुलेशन एण्ड एवोलेशन एक्ट 1970) अन्य कानून जो कि समय-समय पर लागू हो को कान्ट्रैक्ट लेबर पर लागू होंगे। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
19. फर्म द्वारा नियुक्त कार्मिकों को विभाग में नियमित नियुक्ति, भुगतान दावा इत्यादि का अधिकारी नहीं होगा। फर्म उक्त सभी क्लेम की दत्तरदायी होगी।
20. फर्म को सभी नियमों एवं कानून द्वारा जो कि लागू हो मानने के लिए बाध्य होगी तथा पी. एफ., ई.एस.आई. बोनस, न्यूनतम मजदूरी, अनुबंधित श्रमिक एवं अन्य स्थितियां जो कि कानून द्वारा लागू हों, के लिए सम्बन्धित फर्म की जिम्मेदारी होगी। यह कार्यालय उपरोक्त के लिए किसी प्रकार के दायित्वाधीन नहीं होगा।
21. यदि किसी बागवान कर्मचारी की लापरवाही से संस्थान की किसी चल एवं अचल सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति होती है अथवा संस्थान में चोरी की कोई वारदात होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता फर्म का होगा तथा जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति अनुबन्धकर्ता फर्म को करनी होगी।
22. बागवान कर्मचारी की लापरवाही अथवा कर्तव्योपेक्षा के कारण होने वाली क्षति का मूल्यांकन संस्थान प्रशासन द्वारा किया जावेगा, जो कि अनुबन्धकर्ता फर्म को निर्विवाद रूप से मानना होगा।
23. स्थाई पौधे से नये पौधे तैयार किये जावेंगे।
24. वर्ष में दो बार होली एवं दीपावली के अवसर पर संस्थान के गमलों एवं बगीचों की ईंटों को पेन्ट किया जावेगा। उक्त पेन्ट संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

25. संस्थान एवं दोनो हॉस्टल में लगी घास की कटिंग विद्युत मशीन द्वारा 15 दिवस में एक बार अनिवार्य रूप से करनी होगी। ऐसा न किए जाने पर बिल में से उचित सीमा तक कटौती की जा सकेगी। कटौती की सीमा के संबंध में अन्तिम निर्णय निदेशक संस्थान का होगा।
26. संस्थान तथा दोनो हॉस्टल में लॉन की सम्पूर्ण साइडों में बढ़िया किस्म की मौसमी कच्ची फूलवारी लगानी होगी जिसका खर्चा निविदादाता वहन करेगा।
27. संस्थान व हॉस्टल्स में लगे पेड़-पौधों, गमलों एवं लॉन में निराई, खुदाई करनी होगी। अच्छी किस्म की खाद डालनी होगी, मिट्टी को बदलना होगा, पानी डालने की व्यवस्था करनी होगी। कीट आदि से बचाव हेतु दवाईयों का उपयोग समय-समय पर ठेकेदार को करना होगा। जिसका व्यय अनुमोदित फर्म को वहन करना होगा। उपकरणों व औजारों की व्यवस्था भी ठेकेदार द्वारा की जावेगी। बागवानी के कार्य के लिए प्रशिक्षित व अनुभवी बागवान को ही लगाया जाएगा।
28. कच्ची फूलवारी जो लगाई जानी है उसमें मौसमी पौधे प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार लगाने होंगे जैसे डोलिया, कोचिया आदि बढ़िया किस्म के पौधे तथा मैन बिल्डिंग के सहारे-सहारे एक दम साफ रखा जावेगा तथा साइड में खाली जगह (बोर्डर) पर तथा खाली गमलों के लिये मौसम के अनुसार कच्ची फूलवारी लगानी होगी।
29. ठेकेदार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह बागवानी व्यवस्था के लिये लगाये गये कर्मचारियों की सूची मय सम्पूर्ण विवरण एवं नवीनतम फोटोग्राफ के दो प्रतियों में संस्थान में प्रस्तुत करें। इसके पश्चात् समय-समय पर होने वाले परिवर्तन की सूची संस्थान प्रशासन को इसी प्रकार के विवरण के साथ उपलब्ध करवाते रहेंगे।
30. ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों के सदाचरण के लिए उत्तरदायी होगा। किसी भी बागवान कर्मि द्वारा दुराचरण किये जाने, अभद्र व्यवहार करने अथवा नशे में पाये जाने पर संस्थान द्वारा उसे तत्काल परिसर के बाहर भेज दिया जावेगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान का संविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
31. बागवानी के दौरान जाने-अनजाने में संस्थान भवन या उसमें स्थित किसी सामान का कोई नुकसान अथवा क्षति पहुंचती है तो इसके संबंध में जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस क्षति राशि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी। उक्त राशि तय करने का अधिकार संस्थान का होगा। जिसे ठेकेदार को मानना होगा।
32. बागवानी कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के पश्चात् बिल प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी के द्वारा कार्य प्रमाणित करने के उपरान्त प्रतिमाह चैक द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा। यदि बागवानी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संस्थान को कटौती किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा, कटौती की सीमा के संबंध में अंतिम निर्णय निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का होगा।
33. यदि ठेकेदार बागवानी व्यवस्था करने में असफल रहता है तो संस्थान को अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इस व्यवस्था में होने वाले व्यय से दुगुनी राशि भुगतान से वसूली योग्य होगी।

34. संस्थान व दोनो हॉस्टल परिसर में घास के पार्को के अलावा सड़क पर जगह-जगह पर उग रही घास की सफाई करवाने का कार्य संविदाकार का होगा। सड़क पर घास नहीं उगने दी जावेगी। जंगली पड़े-पौधें को भी समय-समय पर हटाये जाने व पेड़ों की कटिंग की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। लॉन में खरपतवार को समय-समय पर निकालना होगा।
35. बागवानी से निकले कूड़े को परिसर के बाहर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर डालने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
36. संस्थान भवन के कार्यक्रमों में सजावटी गमलों को लगाये जाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। जिसका खर्चा संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
37. निविदादाता से अपेक्षित है कि वह संस्थान परिसर का अवलोकन करके ही अपनी दरें अंकित करें।
38. निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तों के साथ RTPP Act 2012 और RTPP Rules 2013 के समस्त नियम लागू होंगे।

(अ)-संस्थान में निम्नलिखित कार्य करने होंगे :-

1. निविदाकार द्वारा संस्थान में निम्नलिखित कार्य करने होंगे:- मैंन बिल्डिंग, नए हॉस्टल व पुराने हॉस्टल की सामने के लॉन, लॉन के अगल-बगल व गैलरी में लगे हुए सभी पेड़, पौधें, संस्थान की सभी बिल्डिंगों पर आवश्यकतानुसार बेलें चढ़ना, संस्थान के मुख्य भवन व नये हॉस्टल के बीच खाली जगह में हरी पट्टी विकसित करना व आवश्यकतानुसार पेड़ पौधे लगाना, पुराना हॉस्टल व उसके सामने तथा जवाहर कला केन्द्र के बगल में आवश्यकतानुसार पेड़ पौधें लगाना, फुलवारी विकसित करना, संस्थान के परिसर में निर्देशानुसार सभी प्रकार के बागवानी संबंधी कार्य करना।
2. निविदादाता यह भली प्रकार समझ लें कि साधारण रूप से बगीचे तथा पौधों में पानी देने मात्र तक का कार्य बागवानी नहीं है, बागवानी से सम्पूर्ण संस्थान को अभिरुचिपूर्ण व संस्थान को पेड़ पौधों तथा फूलों से सजाना है जिसके लिए साधारण मजदूरों को लगाना पर्याप्त नहीं है।
3. निम्नलिखित सामग्री संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी :-
 - i. स्थायी प्रवृत्ति के पौधें जो संस्थान में तैयार नहीं किए जा सकते हैं वह संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे। जिस पर व्यय संस्थान वहन करेगा।
 - ii. लॉन में लगाने हेतु घास, यदि संस्थान की मौजूदा घास से लेना सम्भव नहीं हो तो संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। जिस पर व्यय संस्थान वहन करेगा।
 - iii. ईंटें आदि यदि आवश्यक हों। जिस पर व्यय संस्थान वहन करेगा।

(ब)–निम्न सामग्री संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी :-

1. कच्ची फुलवारी हेतु पौध स्वयं सेवा प्रदाता को तैयार करनी होगी।
2. समस्त बागवानी औजार, उपकरण, पाईप, मशीन आदि।
39. अनुबन्ध की अवधि : अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष की होगी।
40. निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ वार्षिक लागत की 2 प्रतिशत (4000/-रूपये) बिड़ प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराना होगा।
41. सफल निविदादाता को 500/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।


अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं एवं मैं उक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०







इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



निविदा वित्तीय प्रपत्र

कार्यालय में बागवानी संबंधी कार्य जॉब बेसिस पर करवाने के लिये वित्तीय निविदा :-

निविदादाता/फर्म का नाम :स्थाई पता :
.....दूरभाष संख्यामोबाईल नंबर

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि रूपये (प्रतिमाह दो व्यक्तियों हेतु)	कुल राशि रूपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जॉब बेसिस पर बागवान	कुशल (बागवान)	7358	2	7358	13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		

उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 8 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 9 एवं 10 में ही निविदादाता द्वारा राशि अंकित की जायेगी।

1. निविदादाता/फर्म द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
2. L-1 फर्म का निर्धारण कॉलम संख्या 10 में अंकित राशि के न्यूनतम के आधार पर होगा।

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम :

पत्र व्यवहार का पता :

मोबाईल नंबर :